व्यापारों/व्यवसायों में पुनर्वासित करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कम लागत वाली स्वच्छता योजना

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवर्तित *निर्मित शुष्क शौचालय	मुक्त किए गये सफाई कर्मचारियों की संख्या
1.	आ.प्र.	1,85, 909	2943
2.	अरूणाचल प्रदेश	*शून्य	*शून्य
3.	असम	15,000	416
4.	बिहार	1,86,000	4382
5.	गोवा	*शून्य	*शून्य
6.	गुजरात	सफाई कर्मचारी मुक्त	*शून्य
7.	हरियाणा	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	14,162	432
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-
10.	कर्नाटक	12,293	*शून्य
11.	केरल	11,730	*शून्य
12.	मध्यप्रदेश	4,06,253	605
13.	महाराष्ट्र	1,56,800	3274
14.	मणिपुर	*शून्य	*शून्य
15.	मेघालय	*शून्य	*शून्य
16.	मिजोरम	234	-
17.	नागालैंड	*शून्य	*शून्य
18.	उड़ीसा	45,159	1661
19.	पंजाब	66,072	3300
20.	राजस्थान	1,87,204	1594
21.	सिक्किम	*शून्य	*शून्य
22.	तमिलनाडु	67,751	355
23.	त्रिपुरा	सफाई प्रणाली मुक्त	-
24.	उत्तर प्रदेश	1,47,545	1934
25.	पश्चिम बंगाल	80,700	72
26.	अ. नि. दीव	1,125	50
27.	चंडीगढ	-	-
28.	दादरा नगर हवेली	*शून्य	*शून्य
29.	दमन द्वीव	*शून्य	*शून्य
30.	दिल्ली	8,58,949	-
31.	लक्षद्वीप	*शून्य	*शून्य
32.	पांडिचेरी	1,534	118
	कुल :	24,44,418	21,136

*पद्धति विद्यमान नहीं है।

विवरण- II

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	के दौरान निर्मुक्त धनराशि 1991-92	1992-93	1993-94 (अगस्त, 94 तक)	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	2.55	4.49	-
2.	असम	0.125	2.02	-	-
3.	बिहार	3.50	3.13	-	-
4.	गुजरात	2.50	1.86	2.00	-
5.	हरियाणा	1.50	1.76	7.14	-
6.	जम्मू और कश्मीर	0.025	1.00	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	0.60	2.53	-	-
8.	कर्नाटक	1.75	3.99	-	-
9.	केरल	0.25	0.30	-	-
10.	मध्य प्रदेश	4.00	13.36	12.26	13.80
11.	महाराष्ट्र	3.70	6.59	3.78	-
12.	उड़ीसा	3.50	0.58	1.19	-
13.	पंजाब	3.50	0.58	—	-
14.	राजस्थान	4.75	1.01	2.27	-
15.	तमिलनाडु	5.00	0.80	-	-
16.	उत्तर प्रदेश	8.00	14.94	37.63	-
17.	पश्चिम बंगाल	2.00	3.63	-	-
18.	दिल्ली	3.75	0.05	-	-
19.	पांडिचेरी	0.025	0.05	0	-
20.	नागालैंड	0	-	0.11	-
21.	मेघालय	0.025		-	-
	कुल:	50.50	60.73	70.97	13.80

सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

3430. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु सरकार ने कोई राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा;

(ग) क्या सरकार इसके लिए निर्धारित समयावधि में इस कार्यक्रम को पूर्ण करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्य-योजना बनाई जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नामक

एक आयोग की दिनांक 12.8.1994 को स्थापना कर दी गई है जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी कार्य का निष्पादन करेगा:-

(1) एक समयबद्ध कार्य योजना के अधीन सफाई कर्मचारियों के लिए अवसरों, सुविधाओं तथा दर्जे की असमानता के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य योजना पर केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

(2) सफाई कर्मचारियों के समाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन तथा अध्ययन और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को बेहतर समन्वय तथा ऐसे कार्यक्रम तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(3) विशिष्ट शिकायतों का अन्वेषण तथा गैर कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर अपनी तरफ से सूचना देना।

(क) सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के बारे में कार्यक्रम या योजना बनाना।

(ख) निर्णय, मार्गदर्शन अथवा अनुदेश जारी करना जो सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए लक्षित हो।

(ग) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन के उपाय।

(घ) किसी विधि के उपबंधों का सफाई कर्मचारियों पर लागू करना तथा ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के साथ उठाना।

(ङ) सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले में केंद्र तथा राज्य सरकारों को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों या निर्योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाय।

(च) अन्य कोई मामला जो इसके पास केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाए। अपने कार्यों के पालन करने में आयोग को किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से किसी मामले के बारे में सूचना मांगने का अधिकार होगा। आयोग को सौंपें गए कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूरे होने हैं।

Irregularities by Central Wakf Council

3431. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether CAG in his report for 1992-93 has pointed out irregularities committed by the Central Wakf Council for not refunding the unspent balance of grants-in-aid to Government;

(b) if so, whether Government have now got back the unspent grants-in-aid from the council;

(c) if not, action taken thereon; and

(d) whether there is any difference of opinion between CAG and Government in this regard and if so, the steps taken to resolve this impasse?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (d). The Report of the CAG for 1992-93 has not been received in this Ministry as yet. However, it is gathered that the CAG has, in his report for the year 1992- 93, objected to the retention by the Council of certain amounts which, according to them, had remained unutilised and had wrongly been credited to the wakf fund of the Council. The Council's contention in this regard is that once the amount of grant-in-aid is released by the Government to the Council and the amount is advanced to the wakf institutions / wakf boards for the development of urban wakf properties, the amount of grant-in-aid stands utilised and money received as refund / repayment of loans, forms part of the Wakf Fund.

Government had earlier drawn the attention of the CAG in this regard to Sec. 8 B(2) and (3) of the Wafk Act, 1954 which read as under:

"8.B(2): All monies received by the Council under Sub-Section (1) and all other monies received by it as donations, benefactions and grants shall form a fund to be called the Central Wakf Fund.

8.B(3): Subject to any rules that may be made by the Central Government in this behalf, the Central Wakf Fund shall be under the control of the Council and may be applied for such purposes as the Council may deem fit."

In view of this, Government had taken the view that the refund of such amounts from the Council may not be insisted upon. Further action will be taken after the report of the CAG is received in this Ministry.

Child Beggars / Juvenile homes in various states

3432. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state: